

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2018

विषय:- गम्भीर बिमारी के अन्तर्गत स्थानांतरण प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/सेवायें-2/11872/स्था0प्रकरण/2018-19 दिनांक 30 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा गम्भीर बिमारियों के अन्तर्गत स्थानांतरण प्रकरण शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- इस के संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय में योजित (पी0आई0एल0) दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 18.06.18 के निर्देशानुसार वर्तमान में देहरादून व नैनीताल जिलों में स्थानांतरण /पदस्थापना प्रदान किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव